राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 217/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता पंचम, राजस्थान, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गोयल एसोसिएट्स, खैरागढ़। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री जतिन हरजाई,
अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 97/एनआरडी/आरवीएटी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता पंचम राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2006 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 1,83,600/– एवं कर रूपये 24,480/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.08.2006 जिरोली फाटक के पास रीको औधोगिक क्षेत्र धौलपुर के सामने वाहन संख्या UP80 P 9955 को रूकवाकर चैक किया गया। वाहन चालक श्री रामचित्र द्वारा वाहन में लदानशुदा माल खाद्य तेल से सम्बन्धित दस्तावेजों में बिल नम्बर 79 दिनांक 20.08.2006 मैसर्स अंकित ट्रेडर्स मुरैना बिल्टी नं. 574 दिनांक 20.08.2006 पेश किये गये। दस्तावेजों के संदिग्ध होने पर करापवंचन के संदेह के आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की अनुपालना में श्री अनिल गोयल प्रो. गोयल एसोएिटस खेरागढ़ (उ.प्र.) ने जवाब पेश किया। जवाब पर गौर करने पर पाया गया कि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, माना गया कि जानबूझकर करापवंचन की मंशा से बाहर से बाहर (out to out) के दस्तावेज तैयार किये गये है। उक्त आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर मांग राशियां आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल बाहर से बाहर माल जा रहा था, राजस्थान का कोई माल नहीं था। सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों को बिना देखें ही आदेश पारित कर दिया गया जो वैधानिक तथा तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। माल के साथ वैध बिल व बिल्टी संलग्न थे। केवल कल्पना के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है जो विधिक नहीं है। राज्य में माल का चढना या उतरना साबित नहीं किया गया है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वाहन को जिरौली फाटक के पास धोलपुर पर चैक किया गया। वाहन के साथ बिल, बिल्टी मौजूद थे। माल मध्यप्रदेश मुरेना से उत्तरप्रदेश खैरागढ जा रहा था। प्रेषक व प्रेषिति दोनों के शपथ पत्र पेश कर दिये गये थे। दोनों ने क्रय विक्रय स्वीकार किया है तथा विक्रेता ने अपनी नियमित बहियात में नियमानुसार जमा खर्च होना भी स्वीकार किया है ड्राइवर ने भी अपना शपथ पत्र पेश किया कि यह माल उसने मुरेना से लोड किया था और खैरागढ अनलोड करना था। सशक्त अधिकारी द्वारा शपथ पत्रों को मिथ्या साबित नहीं किया गया है। अनुमान के आधार पर आरोपित शास्ति व करारोपण माननीय न्यायालयों के निर्णयानुसार विधिक नहीं कहा जा सकता। राज्य में अनलोड होना साबित नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष